

178



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013 R-3060 III/13

1. शम्भू पिता रामा रजक, निवासी-ग्राम धनगंगा, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. आशा पिता रामा रजक, निवासी-ग्राम विरहुली, तहसील बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.)
3. जानकी पिता रामा रजक, निवासी-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

1. बाबूलाल पिता रतना रजक,
2. रविशंकर पिता बुद्ध रजक,  
निवासीगण-ग्राम धनगंगा, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

—अनावेदकगण

दिनांक 7-8-13 को  
क्र. 19/अ-3/11-12 में पारित आदेश दिनांक 09/02/2012 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

*[Handwritten signature]*  
7-8-13

6:55 PM 44

*[Handwritten signature]*  
7-8-13

न्यायालय तहसीलदार जैतहरी, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-19/अ-3/11-12 में पारित आदेश दिनांक 09/02/2012 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

*[Handwritten signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3060-तीन/2013

जिला अनूपपुर

शम्भू विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार जैतहरी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>22/2/19</p>